DOI: 10.51220/hjssh.v3i1.9

Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities, Vol 3 pp. 65-70, 2008

टिहरी राज्य प्रजामण्डल-प्रादुर्भाव एवं विकास

सुरेश चन्दोला

इतिहास विभाग हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर, पौड़ी गढ़वाल-246001

Received 19.10.2008 Accepted 31.12.2008

ABSTRACT

सन् 1804 खुड़बुड़ा (देहरादून) के युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्मनशाह नेपाली गोरखों द्वारा पराजित हुये। वे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये। इस विजय के साथ ही नेपाली गोरखे गढ़वाल के भाग्य विधाता बन गये। विजयी नेपाली गोरखों ने गढ़वाल की जनता के साथ इतने अमानुषिक अत्याचार किये कि गढ़वाल की जनता त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर उठी। ऐसा नहीं कि युवराज सुदर्शनशाह ने गढ़वाल की जनता को गोरखा शासकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिये प्रयास नहीं किये हों, परन्तु राज्यविहीन युवराज के लिये इतना धन जुटा पाना सम्भव नहीं था कि जिसके द्वारा वह एक विशाल सेना का निर्माण कर इन विदेशी घुसपैठियों को गढ़वाल राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ सकते। अन्ततः सुदर्शनशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से गढ़वाल से गोरखा शासन का उन्मूलन कर दिया। कहा जाता है कि युद्ध हर्जाने के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने गढ़वाल का आधे से अधिक भू-भाग युवराज सुदर्शनशाह से हड़प लिया। शेष अविकसित भाग युवराज को सौंप दिया गया। इस प्रकार सन् 1815 में गढ़वाल का विभाजन हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन गढ़वाल क्षेत्र कालान्तर में ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया। शेष गढ़वाल का भू-भाग गढ़वाल नरेश के अधीन रियासत टिहरी के नाम से विख्यात हुआ।

Key words- *Tehri, Statehood, Origin, Development.*

गढ़वाल की जनता को गोरखा आततायियों से मुक्त कराने का पुरस्कार सुदर्शनशाह को अपने पैत्रिक राज्य का आधे से अधिक भू-भाग को चुकाने के रूप में मिला। राजधानी श्रीनगर उनके हाथों से खिसक गयी। चन्द राजभक्त परिवारों को साथ लेकर उन्होंने 26 दिसम्बर, 1815 को गंगा व भिलंगना के संगम से कुछ ऊपर एक समतल स्थान में अपना पड़ाव डाला। इस स्थान पर देवयोग कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इसी स्थान को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय ले लिया।[1] पहले अस्थायी तत्पश्चात् स्थायी निवास बनवाये गये और सुदर्शनशाह वहीं से अपना राजकाज चलाने लगे। एक छोटी सी धुनारों की बस्ती धीरे-धीरे टिहरी नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार सुदर्शनशाह को रियासत टिहरी का प्रथम नरेश होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ जनजागृति एवं सामाजिक शोषण के विरुद्ध जन आन्दोलन का इतिहास था। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् अनेक राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुये। दक्षिण अफ्रीका

© SHARAD

में रंगभेद आन्दोलन के सफल संचालन के बाद मोहनदास कर्मचन्द गान्धी भारत वापस आ गये थे। सन् 1905 में भारत में ब्रिटिश प्रशासकों के विरुद्ध प्रथम स्वदेशी आन्दोलन संचालित किया गया था। 13 अप्रैल, 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड के पश्चात् प्रारम्भ हुआ खिलाफत आन्दोलन। यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आन्दोलन था, जो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया।

भारत की इन राजनैतिक गतिविधियों तथा प्रगतिशील विचारों का प्रभाव देशी रियासतों पर पड़ना स्वाभाविक था। उत्तरी हिमालय की रियासत टिहरी भी शोषण तथा सामाजिक अत्याचारों की प्रतीक थी। औताली[2], गयाली[3], एवं मुयाली[4] सामाजिक शोषण के तर्कहीन कानून थे। आयात-निर्यात कर, नजराना, चिलमकर, आबकारीकर, डोमकर यहां तक कि गंगाजल के विक्रय पर भी कर था। दास-दासियों की बिक्री का प्रचलन था, जिस पर राज्य सरकार कर वसूल करती थी। पाला बिसाऊ[5], कुली उतार[6], बड़ी बर्दायश[7] जैसे सरकारी रीति-रिवाजों की भीषणता तथा वेदना से टिहरी रियासत की जनता परेशान एवं दयनीय स्थिति में थी।

ब्रिटिश शासन तथा रियासत टिहरी के मिश्रित शोषण ने समय की गति के साथ-साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं, जिसके कारण जनता में जागृति उत्पन्न हो गयी तथा शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये वे उत्साहित हुये। इसी उत्साह का परिणाम था कि सामाजिक अधिकार तथा न्याय की प्राप्ति के लिये 23 जनवरी, 1939 को टिहरी राज्य प्रजामण्डल की स्थापना हुयी।[8] रियासत के अन्दर प्रजामण्डल की स्थापना सम्भव नहीं थी। अतः प्रजामण्डल की स्थापना देहरादून में श्यामचन्द्र नेगी के आवास पर की गयी।

टिहरी राज्य प्रजामण्डल की उत्पति अचानक नहीं हुयी। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों में महात्मा गांधी की भूमिका का प्रभाव रियासत टिहरी पर अत्यधिक पड़ा। सन् 1912 में कुमाऊँ में कांग्रेस की स्थापना होने से राष्ट्रीय नेताओं का आगमन इस क्षेत्र में होने लगा था। इससे जनता में जागृति उत्पन्न हुयी। मई, 1939 में श्रीनगर (गढ़वाल) में एक राजनैतिक सम्मलेन हुआ। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये पं० जवाहरलाल नेहरू अपनी बहिन विजयलक्ष्मी पण्डित के साथ आये थे।[9] इसी सम्मेलन में रियासत टिहरी के युवा नेता श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामण्डल के लिये उनका आशीर्वाद लिया था।

12 अप्रैल, 1936 को लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश ने देशी रियासतों में स्वराज के महत्त्व को समझाया। 13 अप्रैल को बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के द्वारा देशी रियासतों के नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रकार देशी रियासतों की समस्यायें पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयीं। इसी अधिवेशन में बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने नागरिकों को देशी रियासतों के विरुद्ध संघर्ष के लिये प्रेरित किया। रियासत टिहरी के कई युवा इस सम्मेलन में उपस्थित थे।

देहरादून में प्रजामण्डल की स्थापना के अवसर पर एम0एन0 रॉय की अध्यक्षता में पहला राजनैतिक सम्मेलन हुआ।[10] श्री गोविन्दराम भट्ट तथा श्री श्यामचन्द्र नेगी इसके संस्थापक सदस्य थे। प्रजामण्डल का प्रमुख उद्देश्य रियासत टिहरी की स्थिति को सुधारना तथा नागरिक अधिकारों की प्राप्ति एवं उनकी रक्षा था।[11] श्रीदेव सुमन इसके प्रधानमंत्री बनाये गये। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः पं0 गोविन्दराम भट्ट एवं पं0 तोताराम गैरोला बनाये गये। श्रीदेव सुमन ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बैठक में टिहरी प्रजामण्डल का प्रतिनिधित्व किया, दिल्ली बैठक में श्रीदेव सुमन को मंत्री पद का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। तत्पश्चात् टिहरी प्रजामण्डल के मंत्री का पद श्रीदेव सुमन को त्यागना पड़ा। 16 अप्रैल, 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामण्डल के मंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें शंकरदत्त डोभाल विजयी बने। टिहरी राज्य प्रजामण्डल के मंत्री बनते ही इन्होंने प्रजामण्डल की गतिविधियों को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से टिहरी की जनता तक पहुंचाया। पौण टोटी बन्द हो[12], बरा-बेगार[13] बन्द हो तथा राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित हो। उक्त मांगों को लेकर प्रजामण्डल ने राज्य के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में प्रजामण्डल का गठन एवं क्रियाकलाप राजशाही के विरुद्ध नहीं थे और ना ही राज पद या राज व्यवस्था को समाप्त करने की भावना प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं में थी, परन्तु उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग टिहरी रियासत के लिये किसी गम्भीर समस्या से कम नहीं थी।

टिहरी राज्य विधान सभा ने रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसियेशन एक्ट पास कर सम्पूर्ण रियासत में प्रजामण्डल की गतिविधियों एवं इससे जुड़े सभी नेताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया। बावजूद इसके प्रजामण्डल की गतिविधियां देहरादून से बिना किसी बाधा के संचालित होती रहीं। सन् 1946 को टिहरी शहर में प्रजामण्डल ने प्रथम बार अपना कार्यालय स्थापित किया।[14] राजा के भय से नगरवासी, कार्यालय

तो दूर प्रजामण्डल के किसी भी कार्यकर्ता को अपने निवास पर आश्रय नहीं देते थे। शहीद श्रीदेव सुमन के एक निकट सम्बन्धी पीताम्बरदत्त बहुगुणा ने बड़े साहस का परिचय देते हुये मुख्य बाजार में स्थित अपने भवन के ऊपरी मंजिल का एक कमरा, प्रजामण्डल को किराये पर दे दिया।[15] टिहरी में प्रजामण्डल के कार्यालय का विधिवत् उद्घाटन मंत्री शंकरदत्त डोभाल द्वारा किया गया। कार्यालय स्थापित तो हो गया, परन्तु इसके बाहर सदैव राज्य पुलिस का पहरा लगा रहता था।

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस दिन टिहरी सरकार की ओर से टिहरी के पोलो मैदान में एक विशेष जनसभा का आयोजन किया गया। जिसमें यह घोषणा की गयी कि अब अंग्रेज बहादुर भारत से चले गये हैं, अत: रियासत टिहरी का पूर्ण शासन महाराज टिहरी के पास आ गया है। निकट भविष्य में रियासत टिहरी को भारत से अलग राज्य भी घोषित किया जा सकता है।

इसी दिन प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने एक साधारण बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि वे तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक टिहरी के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। इस दिन टिहरी के राजा ने प्रजामण्डल के नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके साथ हैं, परन्तु शाम को महल के अन्दर सम्पन्न रात्रि भोज में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पैरों के तले रौंदा गया[16], जो रियासती निरंकुशता का जीता जागता उदाहरण था। इस समाचार को सुनते ही प्रजामण्डल द्वारा राज्य के अन्दर स्वतंत्रता का संघर्ष तेज कर दिया गया।

16 अगस्त, 1947 को प्रजामण्डल के अध्यक्ष परिपूर्णानन्द पैन्यूली को ऋषिकेश में टिहरी आते समय रियासती पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार सुनते ही टिहरी में जनाक्रोश भड़क उठा, परन्तु राज्य सरकार द्वारा प्रजामण्डल के सभी वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारियां की जाने लगीं। प्रेमलाल वैद्य, रामचन्द्र उनियाल, शंकरदत्त डोभाल, विद्यासागर नौटियाल, आनन्दशरण रतूड़ी की गिरफ्तारी के बावजूद रियासत के विरुद्ध जनता का संघर्ष जारी रहा। अन्तत: 1 अगस्त, 1949 को विवश होकर टिहरी के तत्कालीन महाराजा मानवेन्द्र शाह ने रियासत को संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में विलीन करने का निर्णय लिया।[17] इस अवसर पर संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के मुख्यमन्त्री पं0 गोविन्दबल्लभ पन्त टिहरी आये थे। रियासती कर्मचारियों को प्रदेश विलीनीकरण के पश्चात् अनेक कष्टों को सामना करने पड़ा। पहले रियासती कर्मचारी टिहरी राजा, जिन्हें बोलांदा बदरीनाथ कहा जाता है की कृपा पर निर्भर थे। रियासत की सेवा में लिये जाने के लिये प्रत्येक रियासती व्यक्ति को अपने

आवेदन पत्र में यह लिखना अनिवार्य था-'गुलाम पाव भर आटे की परवरिश चाहता है।'[18] रियासत के विलीनीकरण के पश्चात् रियासती कर्मचारियों का वेतन एवं ओहदा उत्तर प्रदेश सरकार में अत्यधिक कम हो गया था। रियासत के नागरिकों के अधिकारों के लिये संघर्षरत प्रजामण्डल के लिये सर्वसम्मत निर्णय हुआ। तत्पश्चात् उसको राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया।

सन्दर्भ एवं टिप्पणियां

1. कोठियाल, एल. मोहन, (संयोजक)-एक थी टिहरी (प्रकाशनाधीन)
2. औताली-भू-स्वामी की मृत्यु हो जाने पर यदि उसका पुत्र नहीं होता था, तो उसे औता कहते थे। इस औता की भू-सम्पत्ति पर औताली के रूप में राजा का अधिकार होता था।
3. गयाली-यदि कोई भू-स्वामी अपने परिवार सहित अन्यत्र चला जाये, तो उसकी भू-सम्पत्ति राजा के अधिकार में आ जाती थी।
4. मुयाली-यदि कोई भू-स्वामी बिना किसी विधिक वारिस के मर जाये, तो उसकी भूमि राजा के अधिकार में हो जाती थी।
5. पाला-बिसाऊ-राजमहल की व्यवस्था के लिये प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष एक बोझा घास, चार पाथा चावल, दो पाथा गेहूं, एक सेर घी तथा एक बकरा स्वयं राजमहल पहुंचायेगा साथ ही इसकी रसीद लेगा।
6. कुली-उतार-रियासत की जनता, दरबार के कर्मचारी तथा मेहमानों के सामान का भार ढोने के लिये सदैव तैयार रहेगी।
7. बड़ी बर्दायश-राज परिवार, राज अतिथि के राज्य भ्रमण के समय उन्हें पूर्ण सहायता उपलब्ध कराना तथा उसका खर्चा वहन करना बड़ी बर्दायश के अन्तर्गत आता था।
8. बाबुलकर, मोहनलाल, (सम्पादक)-पण्डित प्रेमलाल वैद्य अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ-3 (अभिनन्दन समिति देवप्रयाग, गढ़वाल)
9. स्मारिका-स्वर्ण जयन्ती 1998, पृष्ठ 41 (जिला पंचायत पौड़ी)
10. कर्मभूमि साप्ताहिक-26 जनवरी (स्वतंत्रता विशेषांक) पृष्ठ 65 (कोटद्वार, गढ़वाल)
11. शक्ति साप्ताहिक-18 फरवरी, 1939 (अलमोड़ा)
12. पौण टोटी (आयात निर्यात पर चुंगी कर)-किसी समय मसूरी भी टिहरी राज्य में था। मसूरी से 11-12 मील की दूरी पर पौण टूटी लगती है। वहां हर समय एक पटवारी एवं एक मुंशी रहता है। राज्य के अन्य स्थानों पर भी सम्भवतया ऐसा ही प्रबन्ध होगा। इस रास्ते पर जो भी मुसाफिर आता है, सबसे पहले मुंशी जी जोर से कहते हैं कि बिस्तर एवं ट्रंक को खोलो। यदि मुसाफिर चतुर हो तो, उसे फ्री रुपये की वस्तु पर 6 पैसे पौन टूटी ले लेते हैं और यदि मामूली कुली या मजदूर हो, तो उससे एक रुपये की वस्तु पर ढाई भाग लेते हैं। आश्चर्य यह है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उससे भी चार आना ले लेते हैं।

    बुरासखण्डा में यह बात होती है कि वहां महसूल लेते समय एक रसीद मिलती है। इसके बाद कद्दूखाल आता

है, वहां भी पटवारी होता है और वह कुली, मजदूरों को कहता है कि आप लोग तलाशी लो। कुली लोग अपनी सहूलियत के ख्याल से अपनी गठरियों को नहीं खोलते, क्योंकि फिर उसे बांधने में बहुत देर लगती है। 3 सितंबर, 1938 (दैनिक हिन्दुस्तान-दिल्ली)-टिहरी शहर में एक लोटा घी को हाथ में लेकर पुल पार करने पर भी पौण टोंटी कर देना पड़ता था।

13. बरा-बेगार-बिना किसी भुगतान के वर्ष में दो बार, दोनों फसलों पर खाद्य-सामग्री वसूल करना। (प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता विद्यासागर नौटियाल के संस्मरणों के कुछ अप्रकाशित अंश।)

14,15,16. डबराल, डॉ0 शिवप्रसाद-उत्तराखण्ड का इतिहास, भाग 6, पृष्ठ-197 (वीरगाथा प्रकाशन, दोगड्डा, कोटद्वार)

17. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, गढ़वाल डिवीजन, पृष्ठ-5 (सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, 1971)

18. बाबुलकर, मोहनलाल- (सम्पादक) पूर्वोक्त, पृष्ठ-47